[2023] 10 एस**.** सी**.** आर **713:2023** आई**.** एन**.** एस**.** सी **622**

/

अरविंद कुमार

बनाम

एन. सी. टी. राज्य, दिल्ली

(2010 की आपराधिक अपील संख्या 2390) 17 जुलाई, 2023

/

[अभय एस**.** ओका और राजेश बिंदल**,** जे**.** जे**.]**

दंड संहिता, 1860:एस. 304 ए-लापरवाही से मौत का कारण-पीड़ित-कांस्टेबल और अपीलार्थी-पुलिस गार्ड के बीच हाथापाई-अपीलार्थी की अर्ध स्वचालित आग (एसएएफ)-कार्बाइन अपीलार्थी की बेल्ट की श्रृंखला में उलझ गई जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी की एसएएफ से दुर्घटनावश पांच राउंड गोलियां चली गईं-गोलियां पीड़ित की गर्दन में लग गईं जिससे उसकी मौत हो गई-अपीलार्थी का मामला कि उप-निरीक्षक ने उससे अनुरोध किया था कि वह पीड़ित को टेलीफोन पर अपनी बातचीत जारी रखने से रोकने के लिए कहे-अपीलार्थी को यू/एस की सजा। 302 और निम्नलिखित अदालतों द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया:अपीलार्थी द्वारा जानबूझकर गोली चलाने के संबंध में अभियोजन पक्ष के मामले के उद्देश्य के अस्तित्व को साबित करने में विफलता को स्वीकार नहीं किया जा सकता है-इसके अलावा दो चश्मदीद गवाह दुर्घटनावश गोली चलाने के अपीलार्थी के बचाव का पूरी तरह से समर्थन करते हैं-इसके अलावा, घटना के बाद अपीलार्थी के बयान की व्याख्या जिसमें उसने उप-निरीक्षक को दोषी ठहराया, और अपीलार्थी के बयान पर उप-निरीक्षक की प्रतिक्रिया, एक संभावित व्याख्या है जो सामान्य मानव आचरण के अनुरूप है-अपीलार्थी और उप-निरीक्षक के बारे में अभियोजन पक्ष के गवाहों का ऐसा बयान देना विश्वास को प्रेरित नहीं करता है-अभियोजन पक्ष यह साबित करने में भी विफल रहा कि अपीलार्थी का या तो पीड़ित की मृत्यु का कारण बनने का कोई इरादा था या ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने का इरादा था।299 – हालाँकि, अपीलार्थी की ओर से विफलता, जिसके पास एक परिष्कृत स्वचालित हथियार था, यह सुनिश्चित करने में विफलता कि परिवर्तन लीवर को हमेशा एक सुरक्षा स्थिति में रखा गया था-अपीलार्थी की ओर से भारी लापरवाही के कारण मानव जीवन का नुकसान हुआ-इस प्रकार, अपीलार्थी कम अपराध करने का दोषी है जो दंडनीय है।304 ए और उसका विश्वास यू/एस। 302 एक तरफ रखा-साक्ष्य अधिनियम -एस. 6.

/

/

/

/

/

/

713 ए.

714

/

[2023] 10 एस सी आर।

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2010 की आपराधिक अपील सं. 2390।

2009 के सी. आर. एल. ए. सं. 605 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 02.07.2010 के निर्णय और आदेश से।

एस. नागमुथु, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री प्रेरणा मेहता, अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता।जयंत के. सूद, ए. एस. जी., श्रीकांत नीलप्पा तेरदल, मुकुल सिंह, राजेश सिंह चौहान, पी. वी. योगेश्वरन, राजन के. चौरसिया, एस. के. सिंघानिया, डॉ. एन. विशाखमूर्ति, अधिवक्ता।प्रत्यर्थियों के लिए।

/

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

/

अभय एस. ओका, जे. फैक्टुअल एस्पेक्ट्स

1. इस अपील द्वारा, अपीलार्थी-अभियुक्त ने भारतीय दंड संहिता की धारा (संक्षेप में, "आई. पी. सी".) के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए सत्र न्यायालय द्वारा पारित अपनी दोषसिद्धि के आदेश पर आपत्ति जताई है।विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी-अभियुक्त का मामला भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 300 में "तृतीय" के अंतर्गत आता है। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी-अभियुक्त मामले को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 300 के अपवाद 4 के सुरक्षात्मक दायरे में लाने में विफल रहा है। उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय से अपीलार्थी की दोषसिद्धि की पुष्टि हो गई है।विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।जब तक अपीलार्थी को 27 नवंबर 2017 के आदेश द्वारा इस न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किया गया, तब तक

अपीलार्थी को लगभग 8 साल और 11 महीने की अवधि के लिए कारावास की सजा हो चुकी थी।

/

/

2. अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि शशि बाला (पीडब्लू-12) जो पुलिस का उपनिरीक्षक था, 28 दिसंबर 1994 को आई. पी. एस्टेट पुलिस स्टेशन, दिल्ली में ड्यूटी ऑफिसर के रूप में तैनात था।एक सिपाही मोहम्मद।राशिद (मृतक) "मुंशी-रोजनामाचा" के रूप में ड्यूटी पर था। लगभग शाम 5:45 बजे मृतक रिपोर्टिंग रूम में आया और पुलिस स्टेशन के आधिकारिक टेलीफोन पर बात करने लगा।यह देखने के बाद कि मृतक लगभग 5 से 7 मिनट तक फोन पर बात कर रहा था, शशि बाला (पीडब्लू-12) ने उसे सलाह दी कि वह आधिकारिक टेलीफोन को व्यस्त न रखे क्योंकि पुलिस स्टेशन को कुछ तत्काल कॉल आ सकते हैं।अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि मृतक ने पीडब्लू-12 की सलाह पर ध्यान नहीं दिया। अपीलार्थी को पुलिस स्टेशन में गार्ड के रूप में तैनात किया गया था।अपीलार्थी एक अर्ध-स्वचालित अग्नि (एसएएफ)-कार्बाइन ले जा रहा था।पीडब्लू-12 शशि बाला, ए

/

/

/

शाम लगभग 5.55 बजे, अपीलार्थी से अनुरोध किया कि वह मृतक को टेलीफोन पर अपनी बातचीत जारी रखने से रोकने के लिए कहे।इसलिए, अपीलार्थी कर्तव्य कक्ष में प्रवेश किया जहाँ मृतक बैठा था और फोन पर बात कर रहा था।अपीलार्थी ने मृतक के कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे कॉल बंद करने की सलाह दी।अभियोजन पक्ष का प्रारंभिक मामला यह था कि मृतक ने अपीलार्थी की एस. ए. एफ. कार्बाइन को पकड़े हुए खेलते हुए अपीलार्थी को धक्का दिया। अपीलार्थी ने अपने एस. ए. एफ. को निकालने की कोशिश की। हाथापाई के दौरान, एस. ए. एफ. अपीलार्थी की बेल्ट से जुड़ी चेन में उलझ गया, जिसके कारण उक्त स्वचालित हथियार से दुर्घटनावश पांच राउंड गोलियां चलाई गईं।मृतक की गर्दन में पांच राउंड गोलियां लगीं।मौजूद पुलिसकर्मी मृतक को अस्पताल ले गए जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।

/

/

3. शुरू में, शशि बाला (पीडब्लू-12) के बयान के आधार पर, अपीलार्थी के खिलाफ धारा 304 ए के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया था।घटना के अगले दिन मृतक के पिता ने पुलिस उपायुक्त और पुलिस आयुक्त, दिल्ली को शिकायत दी।उक्त शिकायतों के आधार पर जांच अपराध शाखा को हस्तांतरित कर दी गई थी।अभियोजन पक्ष के अनुसार, विशेषज्ञ की राय ने एसएएफ कार्बाइन से दुर्घटनावश आग लगने की किसी भी संभावना को खारिज कर दिया।मृतक के पिता ने यह भी खुलासा किया कि घटना से पहले मृतक ने आरोपी और शशि बाला को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया था।इसलिए, शशि बाला और अपीलार्थी नाराज हो गए और उन्होंने मृतक को जान से मारने की धमकी दी।अपराध शाखा द्वारा की गई जाँच के आधार पर आरोप पत्र दाखिल करते समय भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 303 लागू की गई थी।

/

/

4. हमें यहां यह दर्ज करना चाहिए कि उच्च न्यायालय ने उद्देश्य के अस्तित्व के बारे में अभियोजन पक्ष के मामले में अविश्वास किया है।अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि मृतक ने अपीलार्थी और पीडब्लू-12 को आपत्तिजनक स्थिति में देखा था और इसलिए, वे मृतक के खिलाफ दुर्भावना रखते थे।अपराध के कथित उद्देश्य पर पीडब्लू-3, पीडब्लू-18 और पीडब्लू-22 के साक्ष्य पर विचार करने के बाद, उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उद्देश्य स्थापित नहीं हुआ था।उच्च न्यायालय ने पीडब्लू-13 करीम बक्श की गवाही पर भरोसा किया, जिन्होंने कहा कि उन्होंने मृतक "मुझे बचाओ" का शोर और एसएएफ की गोलीबारी की आवाज सुनी। गवाह ने कहा कि जब उसने मृतक को गोलियों की चोटों के साथ कुर्सी पर लेटे हुए देखा, तो अपीलकर्ता पीडब्लू-12 शशि बाला से हिंदी में कह रहा था, "मैडम आपने ये क्या करवा दिया, मेरे तो बचे बारबाद हो जाएंगे।"गवाह के अनुसार, शशि बाला ने आरोपी को यह कहकर जवाब दिया कि:“तुम फ़िक्र

/

/

/

716

/

[2023] 10 एस सी आर।

मत करो मे भी तुम्हारे साथ हू, न्यायालय तक तुम्हारा साथ डूंगी "।न्यायालय ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 (संक्षेप में, "साक्ष्य अधिनियम") की धारा 6 द्वारा कवर किए गए बचाव के सिद्धांत को लागू किया।

प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँ

5. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने हमें संबंधित गवाहों के साक्ष्य के नोटों के माध्यम से लिया है।उन्होंने प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष के मामले को सही मानते हुए, मृतक और अपीलार्थी के बीच हाथापाई में, एस. ए. एफ. अपीलार्थी की बेल्ट की जंजीर में उलझ गया, जिसके परिणामस्वरूप एस. ए. एफ. से दुर्घटनावश गोलियां चलाई गईं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि एक बार उद्देश्य को खारिज कर दिए जाने के बाद, परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अभियोजन पक्ष का मामला विफल होना चाहिए।उन्होंने आग्रह किया कि अपीलार्थी द्वारा भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 80 को देखते हुए कोई अपराध नहीं किया गया था क्योंकि मृत्यु विशुद्ध रूप से एक दुर्घटना के परिणामस्वरूप हुई थी।

/

/

6. वैकल्पिक रूप से, उन्होंने प्रस्तुत किया कि उच्चतम स्तर पर, भारतीय दंड संहिता की धारा 304 का दूसरा भाग लागू था।उन्होंने प्रस्तुत किया कि नीचे दिए गए न्यायालयों ने धारा 242 का आह्वान करके एक त्रुटि की है।

/

7. राज्य के विद्वान वकील ने आक्षेपित निर्णयों का समर्थन किया।विद्वान वकील ने बताया कि बैलिस्टिक विशेषज्ञ की रिपोर्ट और नेत्र साक्ष्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि अपीलार्थी को निश्चित रूप से जानकारी थी कि एसएएफ कार्बाइन का उपयोग मृत्यु का कारण बन सकता है।

/

प्रस्तुतियों का समावेश

8. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि मृतक अपीलार्थी द्वारा पकड़े गए एस. ए. एफ. कार्बाइन से चलाई गई पाँच गोलियों का शिकार हुआ था और गोलियों की चोटों के कारण उसकी मृत्यु हुई थी।विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि आकस्मिक गोलीबारी के बचाव को स्वीकार नहीं किया जा सकता है और अपीलार्थी द्वारा गोली चलाने का कार्य जानबूझकर किया गया था।न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 80 का सहारा लेकर अपीलार्थी द्वारा अनुरोध किए गए दुर्घटना के बचाव को खारिज कर दिया।

/

9. अभियोजन पक्ष द्वारा आरोप लगाया गया कि मृतक ने पीडब्लू-12 शशि बाला (उप-निरीक्षक) और अपीलार्थी को आपत्तिजनक स्थिति में देखा था।आरोप यह है कि चूंकि मृतक ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखा था, इसलिए पीडब्लू-12 और अपीलार्थी उससे नाराज थे और इस तरह उसे जान से मारने की धमकी दी।उद्देश्य के अस्तित्व के मुद्दे में जाना हमारे

लिए आवश्यक नहीं है क्योंकि उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय के पैराग्राफ 34 में ए पर विचार करने के बाद एक निष्कर्ष दर्ज किया है।

/

/

717

अरविंद कुमार बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राज्य, दिल्ली [अभय एस. ओका, जे.] ए.

पीडब्लू-3 नजीर अहमद, पीडब्लू-18 सब-इंस्पेक्टर राम सिंह और मृतक के पिता पीडब्लू-22 शौकत अली की गवाही कि उद्देश्य के अस्तित्व के संबंध में अभियोजन पक्ष का मामला विश्वास को प्रेरित नहीं करता है।इसलिए हमें इस आधार पर आगे बढ़ना होगा कि मकसद साबित नहीं हुआ।इसलिए, उद्देश्य के अस्तित्व को साबित करने में विफलता उन परिस्थितियों में से एक है जो अपीलार्थी द्वारा जानबूझकर गोली चलाने के संबंध में अभियोजन पक्ष के मामले को स्वीकृति के योग्य नहीं बनाती है।

/

10. दो गवाह हैं जो दावा करते हैं कि वे घटना के चश्मदीद गवाह थे।पीडब्लू-12 शशि बाला एक ऐसी गवाह हैं जिन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में कहा था किः-

“28.12.94 को मुझे 12.00 दोपहर से शाम 6 बजे तक ड्यूटी के घंटों के साथ पीएस आई. पी. एस्टेट में डी. ओ. के रूप में तैनात किया गया था। उस दिन मृतक सी. टी.आई. डी. 1 भी रोजनामचा मुंशी के रूप में रात 8 बजे तक काम कर रहा था। शाम लगभग 5:45 बजे मृतक मेरे कार्यालय यानी रिपोर्टिंग रूम में आया और मेरे सामने कुर्सी पर बैठे हुए फोन करने लगा। उन्होंने लगभग 5/7 मिनट तक फोन करना जारी रखा।मैंने मृतक को बातचीत जारी नहीं रखने और टेलीफोन को व्यस्त रखने के लिए कहा क्योंकि कोई तत्काल कॉल वापस आ सकती है। पीएस में। लेकिन मृतक ने इसे गंभीरता से नहीं लिया लेकिन उसने ऐसा करना जारी रखा।

/

/

फ़ोन कॉल।शाम करीब **5.55** बजे। मैंने आज न्यायालय में मौजूद संतरी यानी आरोपी से मृतक को इतने लंबे समय तक फोन पर बात करने से रोकने के लिए कहा।ए**.** सी**.**मृतक को कंधे पर हाथ रखकर टेलीफोन छोड़ने के लिए कहा।इसे एक मजाक के रूप में लेते हुए पकड़ा गया मृतक आरोपी और ए**.** सी**.** डी**.** के एस**.** ए**.** एफ**.** को पकड़ता है।उन्होंने अपना एसएएफ वापस लेने की कोशिश की। इस हाथापाई के दौरान आरोपी का एसएएफ आरोपी की बेल्ट से

बंधी चेन में उलझ गया और इस दौरान आरोपी से गोली चल जाती है जो मृतक की गर्दन और छाती पर लग जाती है और खून बहने लगता है।

/

/

अपने घाव से बाहर आ रहा है।मुझे फरमान भेज दिया गया।जे. पी. एस. अस्पताल ले जाया गया जिसे संबंधित डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। "

/

(जोर दिया गया) जाँच-इन-चीफ में, उसने कहा कि घटना के एक महीने बाद मृतक के पिता ने उसे जान से मारने की धमकी दी क्योंकि वह अपना बयान बदलने को तैयार नहीं थी।यह ध्यान देने योग्य है कि पीडब्लू-12 शशि बाला को शत्रुतापूर्ण गवाह घोषित नहीं किया गया था।

/

11. पीडब्लू-12 के अलावा एकमात्र अन्य गवाह जो प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा करता है, वह पीडब्लू-25 सतबीर सिंह शेरावत है।वह पुलिस बल का सदस्य नहीं था, लेकिन वह सी. आई. एस. एफ. का हिस्सा था और पुलिस स्टेशन में आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात था।उनका संस्करण भी ध्यान देने योग्य है जो इस प्रकार हैः

"मैं शाम करीब 6 बजे पीएस आई. पी. एस्टेट में मौजूद था। मैंने देखा कि एक सिपाही पीएस आई. पी. एस्टेट में तैनात था और ड्यूटी ऑफिसर के सामने कंट्रोल रूम में कुर्सी पर बैठा था और वह कंट्रोल रूम में रखे टेलीफोन से कॉल कर रहा था और मैं अपनी ओ. के. रिपोर्ट देने के लिए उक्त फोन से कॉल करने का इंतजार कर रहा था।मैं नियंत्रण कक्ष के दरवाजे पर दीर्घा में इंतजार करता रहा।

/

/

इस बीच ड्यूटी अधिकारी ने उक्त सिपाही को इतने लंबे समय तक व्यस्त नहीं रहने के लिए कहा, क्योंकि यह एक आधिकारिक फोन था।उन्होंने उक्त कर्तव्य अधिकारी के अनुरोध पर कोई ध्यान नहीं दिया।ड्यूटी अधिकारी ने संतरी से अनुरोध किया कि वह उक्त सिपाही को फोन दूसरे व्यक्ति के लिए छोड़ने के लिए कहे।संतरी भी वहाँ गया और उक्त सिपाही से उक्त

फोन छोड़ने का अनुरोध किया**,** लेकिन उसने उसके अनुरोध पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। संत्री ने उसे दाहिने हाथ से पकड़ लिया क्योंकि वह अपने बाएं हाथ से फोन का रिसीवर पकड़ रहा था और उसने लापरवाही से संत्री को धक्का दे दिया।संतरी ने फिर से उससे फोन छोड़ने का अनुरोध किया और जवाब में कॉल करने वाले उक्त कांस्टेबल ने संतरी के एसएएफ को पकड़ लिया और एक**-**दूसरे का मजाक उड़ाते हुए उसे धक्का दे दिया और उस समय उक्त एसएएफ से दुर्घटनावश गोली चल गई और उक्त एसएएफ से फोन करने वाले व्यक्ति को पांच राउंड गोलियां लगीं।डब्ल्यू**.** एस**.** आई**.** शशि बाला भी वहाँ मौजूद थीं और उन्होंने घटना से पहले फोन बनाने वाले सिपाही से एसएएफ को न छूने का अनुरोध किया था क्योंकि यह खतरनाक था।उस समय संतरी न्यायालय में मौजूद आरोपी था जिसका नाम अरविंद **(**आज न्यायालय में मौजूद**)** के नाम से जाना जाता था।

/

/

/

गवाह)।वहाँ एक सार्वजनिक व्यक्ति भी मौजूद था लेकिन मुझे उसका नाम नहीं पता।मुझे उस सिपाही का नाम नहीं पता था जो गोली उसके सीने में लगने के बाद फोन कर रहा था और वह घटना में बुरी तरह से घायल हो गया था और गोली का शोर सुनकर पीएस के सभी कर्मचारी वहां जमा हो गए।घटना के बाद एसएएफ को मेज पर रखा गया था और मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसी और उसी ए की पत्रिका में कितने चक्कर थे

/

/

हम अपने उपहार में बाहर नहीं ले जा रहे थे।मेरी उपस्थिति में आरोपी और डब्ल्यू. एस. आई. शशि बाला के बीच कोई बातचीत नहीं हुई।" () हम यहाँ ध्यान दे सकते हैं कि इस गवाह को भी शत्रुतापूर्ण घोषित नहीं किया गया था।

/

12. इस प्रकार, पीडब्लू-12 और पीडब्लू-25 का संस्करण, जो प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा कर रहे थे, पूरी तरह से आकस्मिक गोलीबारी के अपीलार्थी के बचाव का समर्थन करता है और किसी भी मामले में, उन्होंने यह बयान नहीं दिया है कि अपीलार्थी ने जानबूझकर मृतक पर गोलियां चलाई थीं।मृतक के पिता, पीडब्लू-22, जो एक प्रत्यक्षदर्शी नहीं थे, ने इस मामले के

समर्थन में गवाही दी कि अपीलार्थी ने जानबूझकर गोली चला दी थी।लेकिन उद्देश्य पर उनकी गवाही पर उच्च न्यायालय ने अविश्वास किया है।इसके अलावा, उनका दूसरा बयान जिसमें उपरोक्त आरोप लगाया गया था, घटना के तीन से चार महीने बाद दर्ज किया गया था।घटना के बाद पुलिस द्वारा दर्ज किए गए उसके पहले के बयान में, यह संस्करण नहीं मिला जैसा कि उसकी जिरह से देखा जा सकता है।

/

/

13. बैलिस्टिक विशेषज्ञ की चार रिपोर्ट/राय रिकॉर्ड पर हैं।दो रिपोर्टों में उल्लेख किया गया है कि गोलियों को बहुत दूर से मारा गया था, जिसके बारे में कोई विवाद नहीं है।जाँच अधिकारी द्वारा किए गए प्रश्नों के अनुसार, बैलिस्टिक विशेषज्ञ, श्रीमती द्वारा 18 अगस्त 1995 को एक दूसरी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। आशा धीर।उक्त रिपोर्ट के खंड 4 और 5 इस प्रकार हैं:

/

"4. प्रयोगशाला में 'ए' (यानी ऑटो) स्थिति में चेंज लीवर के साथ संदर्भ के अंतर्गत ए चिह्नित 9 मिमी कार्बाइन, अगर आग्नेयास्त्र को दबाया गया होता और ट्रिगर को दबाया गया होता और जब तक ट्रिगर दबाया जाता, तब तक गोलीबारी जारी रह सकती थी।

/

5. संदर्भ के अंतर्गत आग्नेयास्त्र को चेन के साथ उलझाकर दबाया जा सकता है**,** बशर्ते**,** यदि चेंज लीवर 'एस' **(**सुरक्षित ईटी**)** स्थिति में न हो।यदि ट्रिगर को मुक्का मारने की स्थिति में दबाया जाता है**,** तो यह आग लगा देगा। **"**

/

(जोर दिया गया) उसी विशेषज्ञ की 22 दिसंबर 1995 की एक राय भी है जो अभिलेख करती है कि एक श्रृंखला के साथ उलझने के बाद एसएएफ के ट्रिगर को एक साथ दबाने और दबाने की संभावना को खारिज कर दिया गया है।यदि इस राय को 18 अगस्त 1995 की राय के साथ पढ़ा जाए, तो यह स्पष्ट है।

/

कि यदि चेंज लीवर सुरक्षा स्थिति में नहीं है, तो बन्दूक को एक जंजीर से उलझाकर दबाया जा सकता है।

14. अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य को देखते हुए, यह अभिनिर्धारित करना होगा कि एस. ए. एफ. अपीलार्थी की बेल्ट से जुड़ी जंजीर से उलझ गया था।विशेषज्ञ की राय को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि जब घटना हुई थी, तो अपीलार्थी द्वारा चेंज लीवर को सुरक्षा स्थिति में नहीं रखा गया था और इसलिए, एसएएफ को झटका लगा, जिसके परिणामस्वरूप पांच गोलियां चलाई गईं।अपीलार्थी को चेंज लीवर को सुरक्षा स्थिति में रखने की प्राथमिक सावधानी नहीं बरतने के लिए दोष लेना चाहिए।

/

15. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत दर्ज अपीलार्थी के बयान को ध्यान से पढ़ने के बाद, अभियोजन पक्ष का मामला कि उसने जानबूझकर मृतक को निशाना बनाकर गोली चलाई थी, अपीलार्थी के सामने नहीं रखा गया।

/

16. जो बचा है वह अपीलार्थी का कथन है और अपीलार्थी के कथन पर पीडब्लू-12 की प्रतिक्रिया है।इन बयानों को साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 को ध्यान में रखते हुए पढ़ा गया था। अभियोजन पक्ष के गवाह पीडब्लू-13-करीम बख्श के अनुसार, गोलीबारी की सुनवाई के बाद, अपीलार्थी को पीडब्लू-12 से यह कहते हुए सुना गया कि "मैडम आपने ये क्या करवा दिया, मेरे तो बचे बारबाद हो जाएंगे"।शशि बाला का जवाब थाः“तुम फ़िक्र मत करो भी तुम्हारे साथ हो सकता है, न्यायालय तक तुम्हारे साथ डूंगी "।इस तरह के बयानों के बारे में गवाही देने वाला एकमात्र अन्य गवाह पीडब्लू-5 ज़हीर अहमद है।उनके अनुसार, उन्होंने अपीलार्थी को पीडब्लू-12 को यह कहते हुए सुना, "मैडम, अपने इस्को मारवा दिया अब मेरा क्या होगा।"दोनों गवाहों ने कहा है कि उन्होंने "मुझे बचाओ" चिल्लाते हुए सुना है।आश्चर्य की बात है कि पीडब्लू-25, जो घटना को देखने का दावा करता है, ने अपीलार्थी, पीडब्लू-12 और मृतक द्वारा दिए गए ऐसे किसी भी बयान के बारे में गवाही नहीं दी है।पीडब्लू-5 मृतक के अंतिम संस्कार में शामिल होने का दावा करता है।उसने स्वीकार किया कि मृतक के पिता के निर्देश के अनुसार, वह घटना के दो महीने बाद अपराध शाखा के एक निरीक्षक से मिला जब उसका बयान दर्ज किया गया।उस समय तक उसने जो कुछ सुना उसके बारे में पुलिस को कुछ नहीं बताया।पीडब्लू-13 ने कहा कि जब उसने आरोपी को उपरोक्त बयान देते सुना तो पीडब्लू-6, पीडब्लू-17 और कुछ अन्य व्यक्ति मौजूद थे।पीडब्लू-6 और पीडब्लू-17 दोनों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया। पीडब्लू-13 के अनुसार उपस्थित अन्य लोगों से अभियोजन पक्ष द्वारा पूछताछ नहीं की गई थी। इसलिए, अपीलार्थी और पीडब्लू-12 द्वारा इस तरह के बयान देने के बारे में अभियोजन पक्ष का बयान विश्वास को प्रेरित नहीं करता है।

/

/

/

/

/

721

अरविंद कुमार बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राज्य, दिल्ली [अभय एस. ओका, जे.] ए.

/

17. हम यह मानते हुए ऐसे बयानों के प्रभाव की भी जांच करेंगे कि वे वास्तव में दिए गए थे।ये बयान कथित तौर पर घटना के तुरंत बाद दिए गए थे।बयानों का घटना से संबंध है।बयान कथित तौर पर अनायास दिए गए थे।इसलिए, अदालतों ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 में शामिल प्रतिरोध के सिद्धांत का आह्वान करके बयानों को प्रासंगिक माना है। हमने अभिनिर्धारित किया है कि अभियोजन पक्ष का यह सिद्धांत कि अपीलार्थी ने जानबूझकर गोली चलाई है, स्थापित नहीं किया गया है।अपीलार्थी को पीडब्लू-12 द्वारा मृतक के पास जाने और उसे टेलीफोन का उपयोग जारी रखने से रोकने का निर्देश दिया गया था।इसलिए वह मृतक के पास गया।यह मृतक की प्रतिक्रिया या कार्रवाई है जिसके परिणामस्वरूप एस. ए. एफ. अपीलार्थी की बेल्ट से जुड़ी चेन में उलझ गया; जिसके कारण एस. ए. एफ. से आकस्मिक आग लग गई। इसलिए, आरोपी ने स्वतः ही प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पीडब्लू-12 को बताया कि उसने उससे क्या किया है।पीडब्लू-12 द्वारा जारी निर्देश को लागू करते समय, दुर्घटनावश आग लग गई और इस तरह अपीलार्थी मौत के लिए जिम्मेदार बन गया।इसी संदर्भ में अपीलार्थी की प्रतिक्रिया को समझना होगा।इन शब्दों से उन्होंने पीडब्लू-12 को दोषी ठहराया है।पीडब्लू-12 को दिए गए बयान का मतलब है कि वह सच बोलकर न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी का समर्थन करेगी।यदि आकस्मिक गोलीबारी के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया जाता है, तो हमारे द्वारा दिए गए उपरोक्त बयानों की व्याख्या एक संभावित व्याख्या बन जाती है जो सामान्य मानव आचरण के अनुरूप है।18. साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 और धारा 6 के नीचे चित्रण (ए) इस प्रकार हैः

/

/

/

/

“6. एक ही लेन-देन का हिस्सा बनने वाले तथ्यों की प्रासंगिकता।––

तथ्य जो, हालांकि मुद्दे में नहीं हैं, मुद्दे में एक तथ्य के साथ इतने जुड़े हुए हैं कि एक ही लेन-देन का हिस्सा हैं, प्रासंगिक हैं, चाहे वे एक ही समय और स्थान पर या अलग-अलग समय और स्थानों पर हुए हों।

/

दृष्टांत

(क) क पर बी को पीटकर उसकी हत्या करने का आरोप है।जो कुछ भी ए या बी या पिटाई के समय दर्शकों द्वारा कहा या किया गया था, या उससे कुछ समय पहले या बाद में लेनदेन का हिस्सा बनने के लिए, एक प्रासंगिक तथ्य है।

/

(ख) (ग)।

/

(घ) "।

पीडब्लू-5 और पीडब्लू-13 ने उपरोक्त पैराग्राफ 16 में उल्लिखित उपरोक्त बयानों का श्रेय अपीलार्थी और पीडब्लू-12 शशि बाला को दिया है जो गोलीबारी की घटना के तुरंत बाद दिए गए थे।कथित बयान निश्चित रूप से मुद्दे के तथ्य से जुड़े हैं, अर्थात्, मृतक की हत्या के अपीलार्थी के कथित कार्य।इसलिए, यह मानते हुए कि अपीलार्थी और पीडब्लू-12 से संबंधित बयान वास्तव में दिए गए थे, उक्त बयान देने का अपीलार्थी का आचरण धारा 6 को ध्यान में रखते हुए प्रासंगिक हो जाता है।साक्ष्य अधिनियम की धारा 5 में यह प्रावधान है कि साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अध्याय 2 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रासंगिक घोषित किए गए प्रत्येक तथ्य के अस्तित्व या गैर-अस्तित्व की कार्यवाही में साक्ष्य दिया जा सकता है।धारा 6 उन तथ्यों पर लागू होती है जो मुद्दे में नहीं हैं।ऐसे तथ्य तभी प्रासंगिक होते हैं जब वे धारा 6 में निर्धारित परीक्षणों को संतुष्ट करते हैं।इसलिए, किसी अभियुक्त के बयान, जिस पर धारा 6 लागू होती है, को अपराध स्वीकारोक्ति के रूप में नहीं माना जा सकता है।बयान प्रासंगिक हो जाता है जिसे साक्ष्य में पढ़ा जा सकता है क्योंकि यह घटना के तुरंत बाद अपीलार्थी के आचरण को दर्शाता है।किसी भी मामले में, मामले के तथ्यों में, हमने माना है कि अपीलार्थी द्वारा इस तरह का बयान देने के बारे में गवाही देने वाले दो गवाहों का बयान विश्वास को प्रेरित नहीं करता है।

/

/

/

19. अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि अपीलार्थी का या तो मृतक की मृत्यु करने का कोई इरादा था या मृतक को ऐसी शारीरिक चोट पहुँचाने का इरादा था जिससे उसकी मृत्यु होने की संभावना थी।यह मानते हुए कि जब अपीलकर्ता मृतक को टेलीफोन का उपयोग करने से रोकने के लिए संपर्क किया, तो उसे पता था कि चेंज लीवर सुरक्षा स्थिति में नहीं था, उसे यह जानकारी देना संभव नहीं है कि एसएएफ को सुरक्षा स्थिति में रखने में विफलता के कारण, वह मृतक की मृत्यु का कारण बन सकता था।मृतक, जो स्वयं एस. ए. एफ. कार्बाइन खींचने वाला पुलिसकर्मी था, की संभावना के बारे में जानकारी का श्रेय अपीलार्थी को नहीं दिया जा सकता है।वास्तव में, अपीलार्थी यह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मृतक ऐसा कुछ करेगा।इस प्रकार, कल्पना के किसी भी विस्तार से, यह भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 299 के अंतर्गत परिभाषित गैर-इरादतन हत्या का मामला है क्योंकि इसमें शामिल तीन तत्वों में से किसी का भी अस्तित्व अभियोजन पक्ष द्वारा साबित नहीं किया गया था।

/

/

/

20. हालाँकि, अपीलार्थी की ओर से एक विफलता है जो यह सुनिश्चित करने के लिए एक परिष्कृत स्वचालित हथियार पकड़े हुए था कि परिवर्तन लीवर को हमेशा एक सुरक्षा स्थिति में रखा गया था।यह न्यूनतम देखभाल ए थी।

/

जिसे वह मृतक के पास जाते समय लेने की उम्मीद कर रहा था।इस प्रकार, अपीलार्थी की ओर से घोर लापरवाही है जिसके कारण मानव जीवन का नुकसान हुआ है।उतावलापन और लापरवाही के कारण मृतक की जान चली गई।इसलिए, अपीलार्थी भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 304 ए के अंतर्गत कम दंडनीय अपराध का दोषी है, जिसके लिए अधिकतम सजा दो साल के लिए कारावास है।अपीलार्थी को आठ साल से अधिक की सजा हो चुकी है।

/

21. इसलिए, अपील को आंशिक रूप से अनुज्ञात जाती है।भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 304 ए के अंतर्गत दंडनीय अपराध करने के लिए अपीलार्थी की सजा को दरकिनार कर दिया

जाता है और उसे दोषी ठहराया जाता है। अपीलार्थी ने उक्त अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा काट ली है।इसलिए, अब जेल में उसकी नजरबंदी की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, उसके जमानत बांड रद्द कर दिए जाते हैं।

/

निधि जैन

अपील की आंशिक रूप से अनुज्ञात है।

(सहायकः तमन्ना, एलसीआरए)

/

/

/

/

/